


न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक ~~MM~~⁹ /IV-AJ to I-ADJ/2020 बैतूल, दिनांक 14/10/2020

-:: सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के सर्कुलर क्रमांक-बी/4008 जबलपुर, दिनांक 09.10.2020 तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के विविध आदेश क्र.183/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 10.10.2020 के अनुपालन में **दिनांक 15-10-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	अधिवक्ता का नाम	सिविल/आप.
1.	CRA No. 78/2017	सोनल वि. पंकज	श्री विश्वनाथ सिंह श्री नीलेश चौरगढ़े	क्रिमि.अपील



(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक ~~MM~~⁹ /IV-AJ to I-ADJ/20
प्रतिलिपि :-

बैतूल, दिनांक ~~15~~¹⁴/10/2020

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अधिवक्ता संघ बैतूल के सूचना पटल पर अधिवक्तागण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
4. न्यायालय सूचना पटल पर अधिवक्तागण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 2 / द्वि.अ.जि.न्या. / 2020

मुलताई दिनांक 14 / 10 / 2020

परिपत्र

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/4008 जबलपुर दिनांक 09.10.2020 अनुसार पूर्व बी/3817 जबलपुर दिनांक 01.10.2020 अनुसार एवं बी/3717 जबलपुर दिनांक 26.09.2020 परिपत्र क्रमांक ए/2083 दिनांक 18.09.2020, परिपत्र क्रमांक सी/2214 दिनांक 12.09.2020, परिपत्र क्रमांक डी/2377 दिनांक 27.06.2020, क्य12 दिनांक 04.05.2020 तथा बी/2655 दिनांक 24.07.2020 को दिनांक 12.10.20 से 16.10.2020 तक प्रभावशील किया जाकर न्यायालयों का सीमित संचालन अनुज्ञात किया गया है। साथ ही सभी न्यायालयों में नियमानुसार संपूर्ण न्यायालयीन समय में कार्य किया जाना आदेशित किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पूर्व आदेशानुसार जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश हेतु नियत प्रकरण तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में अतिआवश्यक मामलों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक 15.10.2020 को नियत निम्नांकित दांडिक एवं सिविल प्रकरण को प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र.	प्रकरण क्र.	सी.आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
1.	CRA	200143/1 6	महादेव विरुद्ध म.प्र. राज्य	1. श्री गजानंद सूर्यवंशी 2. श्री अभयसिंह ठाकुर	9479668811 7587603170	

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने उक्त प्रकरण में अपने-अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर

अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 15.10.2020 को नियत शेष आपराधिक एवं सिविल प्रकरण निम्नांकित दिनांक को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जायेंगे :-

क्र.	प्रकरण क्र.	सी.आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता के नाम	नियत दिनांक	रिमार्क
1	ST	115/19	म.प्र राज्य विरुद्ध उत्तम रत्या	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री अभय गर्ग	04.11.2020	
2	ST	117/19	म.प्र राज्य विरुद्ध मुकेश	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री रमेश सूर्यवंशी	05-11-2020	
3	ST	9/2020	म.प्र राज्य विरुद्ध पवन	1. श्री अभयसिंह ठाकुर 2. श्री श्यामसिंह रघु	10-11-2020	

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

15-10-20

न्यायालय-अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

क्रमांक- सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक-14.10.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
बैतूल


विषय:- दिनांक-15.10.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की
जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय विविध आदेश क्रमांक-64/दो-12-11/2014 बैतूल दि.-04.05.20 एवं विविध आदेश
क्रमांक-119/दो-12-11/2014 बैतूल दि.-07.08.20।


माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक-15.10.2020 को
नियत दांडिक, विविध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न
प्रकरण है-

क्र	प्रकरण क्र/ अपराध क्र	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमार्क
1	380/20	गंज	इन्द्रपाल	437 दप्रस	श्री राजय चौरसे	केस डायरी प्रतिभार्थ
2		सारणी	कुवरिया	457 दप्रस	श्री सतीश मालवी	केस डायरी प्रतिभार्थ
3		बैतूल	अपूर्वराम	457 दप्रस	श्री पी.आर. पंवार	केस डायरी प्रतिभार्थ
4	878/20	बैतूल	प्रवीण	457 दप्रस	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिभार्थ


(अनीता खजुरिया),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(अनीता खजुरिया),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल